संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र.

भोपाल, दिनांक/3/06/2013

क्रमांक/अस्प.प्रशा./2013/723

प्रति,

1.समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2.समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्यप्रदेश।

विषयः– सर्जरी हेतु निजी निश्चेतना विशेषज्ञों की सेवायें लेने बाबत्।

––00––

शासन का उद्देश्य है कि सभी वर्गों के मरीजों को अधिकाधिक सुविधाएं एवं सेवायें शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये। देखने में यह आ रहा है कि कुछ शासकीय चिकित्सालयों में सामान्य शल्य क्रिया एवं आर्थोपिडिक सर्जरी विशेषज्ञ पदस्थ होने के बावजूद, निश्चेतना विशेषज्ञ की कमी/उपलब्धता न होने के कारण इन विषयों से संबंधित सर्जरी नहीं हो पा रही है। ममता अभियान के तहत सीजेरियन ऑपरेशन के लिये निश्चेतना विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने का प्रावधान है।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि जिन चिकित्सालयों में निश्चेतना विशेषज्ञ के पद रिक्त है अथवा वे अवकाश पर है वहां अन्य विधाओं में मेजर शल्य क्रिया हेतु भी निजी निश्चेतना विशेषज्ञों की सेवायें ली जा सकती है। इन सेवाओं के लिये निजी निश्चेतना विशेषज्ञ को प्रति केस रूपये 2000/– मानदेय देय होगा। यह राशि राज्य बजट के अंतर्गत व्यावसायिक सेवा अदायगी मद 19– 2210– 01– 196– 1473– 9999– 31– 004 विशेष सेवायें के लिये मानदेय से वहन/आहरित की जाये। बाहर से (अन्य शहर) आ रहे निश्चेतना विशेषज्ञ को रू. 5 प्रति कि.मी के मान से वाहन भत्ता देय होगा। आर.सी.एच मातृ एवं शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत निजी निश्चेतना विशेषज्ञ द्वारा दी जा रही सेवायें की राशि का भुगतान आर.सी.एच/एन.आर.एच.एम के अंतर्गत ही किया जाये।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(डॉ.के.के.ठस्सू)
संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13/06/13

क्रमांक/अस्प.प्रशा./2013/724

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल।
3) मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स,
4) भोपाल।
5) समस्त क्षेत्रीय अपर संचालक, उज्जैन संभाग ,उज्जैन,म.प्र.।
6) समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक,म.प्र.।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल,मध्यप्रदेश